

कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

अभिलेख वाद सं0.....617/2016-17

वाद का प्रकारः— संदिग्ध जमाबंदी की नियमितीकरणः—

तिथि	आदेश फलक					अन्युक्ति
02.01.18	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांकः— 13.05.16 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक भू— अनुज— सह— विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं0 03 खा०म०निति 119/85/2308/रा० दिनांकः— 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0 914/रा० दिनांकः— 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूरआ खास भूमि की कायम की गई जमाबंदीयों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि निम्नांकित भूमि की जमाबंदी संदिग्ध पायी गई—					
	मौजा थाना नं० खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	जमाबंदी रैयत का नाम		
	पटमपुर 168	42	176 567	5.49 एकड़ उग्रा मुंडा पुरा ४३	5/- दाढ़ ४ मुंडा	

पिता:-

अतः वाद प्रारंभ किया गया तथा जमाबंदी रैयत को नोटिस देकर कागजात की मांग की गई मांग धारी के पुत्र/.....

.....के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया 4/h के तहत अभिलेख प्रारंभ किया गया था। इसी बीच राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के संयुक्त सचिव श्री उदय प्रताप के पत्रांक 6205/रा० दिनांक 27.12.2017 तदानुसार अपर समाहर्ता, खूँटी के ज्ञापांक 1370/रा० दिनांक 29.12.2017के आलोक में सुयोग्य भूमि हीन व्यक्तियों को चिन्हित कर संदिग्ध जमाबंदी को नियमित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। अतः उक्त आदेश के आलोक में चल रहे संदिग्ध जमाबंदी 4/h की कारवाई समाप्त की जाती है। दिनांक 05.01.18 द्वारा उपस्थापित है।

अभिलेख 2 ज० 18
अंचल अधिकारी

कर्रा।

अभिलेख उपस्थापित झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0 6144/रा० दिनांकः— 21.12.17 के आदेश के अनुपालन में संदिग्ध जमाबंदी को नियमित करने हेतु हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 08-01-18 को रखें।

अभिलेख 5.1.18
अंचल अधिकारी
कर्रा।

अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन द्वारा नियमित करने हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसका अवलोकन किया। अवलोकन से पता चलता है कि चौक स्लीप दो प्रति समर्पित किया गया। वर्तमान में जमाबंदीदार की वंशावली में निम्न योग्य सदस्य है।

स्थल जाँच हेतु दिनांक:- 10.01.18 को रखें। अभिलेख दिनांक 11.01.18
को उपरथापित करें।

10.01.18
अंचल अधिकारी
करा।

अभिलेख उपस्थापित मेरे द्वारा ग्रामिणों के समक्ष स्थल जाँच किया गया। जमाबंदी रैयत के वशज का उक्त भूमि पर दखल कब्जा पाया गया। हलका कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन प्रतिवेदन पक्ष है। अतः सरकार के संकल्प 6144/रा० दिनांक:- 21.12.17 के आधार पर उक्त जमाबंदी को नियमित करने की 3756 जाँस्ता की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, खँूटी को अग्रेतर कारवाई हेतु भेजे।

लेधापति एवं संशोधित
Chopda 11.01.18
अंचल अधिकारी
करा।

11.01.18
अंचल अधिकारी
करा।

इसका प्रति
मुक्तावाह